

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- हिम्मतसिंह पुत्र चन्दनसिंह -:बनाम:-

अप्रार्थी :- तहसीलदार

नम्बर :- 136/2023

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रा.पत्र

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुकम
की तामील
में जारी
हुए

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

14.06.23

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प बांजाकुड़ी में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा- बांजाकुड़ी में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 37, 38, 39 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम हिम्मतसिंह पुत्र चन्द्रसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में हिम्मतसिंह पुत्र चन्दनसिंह हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम हिम्मतसिंह पुत्र चन्द्रसिंह के स्थान पर हिम्मतसिंह पुत्र चन्दनसिंह शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

प्रशासन गांवो के संग अभियान बांजाकुड़ी में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक जैतारण व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा- बांजाकुड़ी में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 37, 38, 39 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम हिम्मतसिंह पुत्र चन्द्रसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में हिम्मतसिंह पुत्र चन्दनसिंह दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम हिम्मतसिंह पुत्र चन्द्रसिंह के स्थान पर हिम्मतसिंह पुत्र चन्दनसिंह शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक जैतारण व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधार पर मौजा- बांजाकुड़ी में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 37, 38, 39 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि हिम्मतसिंह पुत्र चन्द्रसिंह को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक " हिम्मतसिंह पुत्र चन्दनसिंह " दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

SDO (सुन्दर बिज्जनाई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

